संख्या-1154 /चि-3-2013

प्रेषक,

**प्रवीर कुमार,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

2-महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

3- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उ0प्र0।

4-समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
उ0प्र0।

5- समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, उ0प्र0।

**चिकित्सा अनुभाग-3** **लखनऊ : दिनांक : 06 मई, 2013**

**विषय** : चिकित्सकों के वेतन आहरण व पी0-2 प्रारूप को अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2013-14 के लिए प्रदेश में चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किये जाने पर चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनात चिकित्साधिकारियों की संख्या एवं अन्य संबंधी सूचनाओं में विरोधाभास पाया गया।

2- इस विरोधाभास का मुख्य कारण यह प्रकाश में आया कि प्रदेश में चिकित्सकों के वेतन भुगतान संबंधी सूचना विभागीय बेवसाइट http://uphealth.up.nic.in पर निर्धारित प्रारूप में अपलोड नहीं की जा रही है तथा चिकित्सकों का वेतन आहरण पृथक-पृथक वेतन बिल बनाकर किया जा रहा है और निर्धारित पे-रोल एवं पी0-2 प्रारूप को अपडेट नहीं किया जा रहा है, जिससे चिकित्सकों की उपस्थिति एवं तैनाती के संबंध में सही सूचना शासन को नहीं मिल पा रही है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त चिकित्सकों का प्रत्येक माह का वेतन विभागीय वेबसाइट http://uphealth.up.nic.in पर चिकित्सकों के वेतन आहरण हेतु निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपलोड करते हुए ही किया जाय, तथा स्थानान्तरित चिकित्सकों के पी0-2 प्रारूप को अद्यतन रखा जाय। बिना पे-रोल एवं पी0-2 अपडेट किये चिकित्सकों का वेतन भुगतान कदापि न किया जाय। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका/आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा निर्देशों का अनुपालन न करने पर इसे वित्तीय अनियमितता/कदाचार मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा लेवेल-1 के जिन चिकित्सकों का स्थानान्तरण अपने स्तर से किया जायेगा, स्थानान्तरण आदेशों की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को तथा विभागीय email id- oicc-med@up.nic.in पर प्रेषित किया जाय।

5— प्रतिनियुक्ति एवं प्रशिक्षण पर जाने वाले चिकित्सकों के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नोडल अधिकारी होगें, ऐसे सभी चिकित्सक महानिदेशालय स्तर से ही कार्यभार ग्रहण करेंगे व कार्यमुक्त किये जायेंगे।

भवदीय,

**(प्रवीर कुमार)**
**प्रमुख सचिव।**

**संख्या—1154 (1)/चि—3—2013, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
(2) समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय जिला पुरूष/महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
(3) प्रभारी, कप्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ कि समस्त संबंधित को ई—मेल करने का कष्ट करें तथा विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड करायें।
(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
6.6.13

**(डा0 काजल)**
विशेष सचिव।